सीटू मजदूर

8-9 जनवरी 2019

देशव्यापी आम हड़ताल

पहाड़ से सागर तक

बर्फ पर जुलूस (हिमाचल प्रदेश)

पहाड़ियों पर रैली

बंगाल की खाड़ी (आंध्र प्रदेश) **में विजाग शिपयार्ड के बाहर हड़ताली मजदूर**

रास्ता रोको - पूर्व और दक्षिण

पटना

बेंगलुरु

देशव्यापी आम हड़ताल

वीरान

हावड़ा पुल

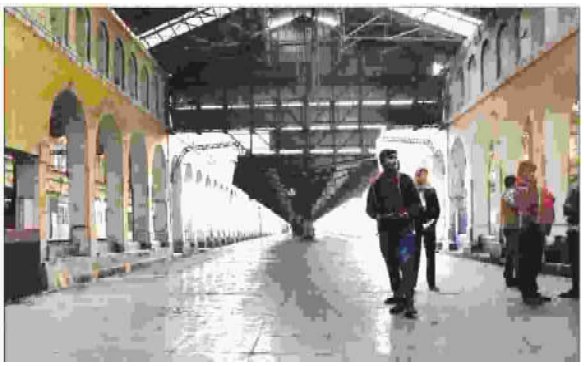

सियालदह स्टेशन

डोम्लुर फ्लाईओवर, बेंगलुरु

फ्लाईओवर ब्रिज, इंफाल

धारावी बस डिपो, मुम्बई

अगरतला, त्रिपुरा

सीटू मजदूर

lhvkbVh;w dk eq[ki=

फरवरी 2019

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

nk fnolh; vke gM+rky & d- geyrk 5

djy e fo'kky efgyk ikphj & ,-vkj- fl/k 19

m|kx o {k= 21

jkT;k l 22

etnjk dk 'kkfey de ckgj T;knk djrk g lj{kk dkM & d-vkj- ';ke lqUnj 25

miHkkDrk eY; lpdkd 26

सम्पादकीय

दो कदम पीछे

मोदी राज में जारी देश के बुनियादी ढाँचे को बदलने की घातक मुहिम की निरंतरता में आरएसएस और भाजपा ने भारत के संविधान के आधारभूत रूपों को परिवर्तित करने के दो पुरातनगामी कदम उठाये हैं।

मोदी सरकार ने पहला कदम 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 पारित करके उठाया। ध्यान रहे कि इसी दिन देश भर के मजदूर अभूतपूर्व देशव्यापी हड़ताल पर थे। इस कानून में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आये शरणार्थियों को – इनमें से मुख्यतः हिन्दू धर्म के शरणार्थियों को – नागरिकता देने का प्रस्ताव किया है। जिसका सीधा अर्थ है मुस्लिम मतावलंबियों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करना और उनको नागरिकता नहीं दिये जाने का प्रावधान करना।

असम में दिए अपने भाषण में वहाँ के भाजपाई मुख्यमंत्री ने इस कानून की पृष्ठभूमि का बयान करते हुए ''जिन्ना'' का नाम लिया। इसका मतलब भारत विभाजन के अंग्रेजों के ''दो राष्ट्रों'' के सिद्दांत को कबूल कर लेना है। भारत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया था और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का निर्धारक आधार बनी रही है। इसी के लिए गांधी जी ने नाथूराम गोडसे के हाथों अपनी जान कुर्बान की थी। यह कानून गोडसे के ''हिन्दू राष्ट्र'' सिद्दांत पर आधारित है। और इस तरह गांधी के ''धर्मनिरपेक्षता'' के सिद्दांत पर डॉ० अम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान की मूल आत्मा के विपरीत है ।

दूसरा मामला आरएसएस–भाजपा की अगुआई में केरल में चल रहे हिंसक आंदोलन का है। यह हिंसा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अमल के खिलाफ भड़काई जा रही है जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने 10 से 50 वर्ष की आयु सीमा की महिलाओं के सबरीमला मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक को हटा दिया था। *(देखें इसी अंक में ए.आर. सिंधु का आलेख)।* स्त्रियों के साथ भेदभाव वाली यह मध्ययुगीन परम्परा भारत के संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के विपरीत है। यह मातृत्व को ''अशुद्ध'' बताकर उसका अपमान करती है। यह दरअसल में सामाजिक बंटवारे की ''मनुवादी'' व्यवस्था ही है। जो 'वर्ण' के आधार पर दलितों और अन्य पिछडे समुदायों को निचले स्तर का मानती है; आदिवासियों को ''अवर्ण'' और स्त्रियों को तो शूद्रातिशूद्र मानती है और इसके आधार पर उनके साथ पक्षपात करती है, उन्हें वंचना का शिकार बनाती है।

यह समय सामाजिक पक्षपात और भेदभाव के शिकार तबकोंः मुस्लिम अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े समुदायों की पीड़ाओं के विरुद्ध मजदूर वर्ग के आंदोलन और अभियान को तेज करने का समय है। हर तरह के शोषण के खिलाफ मेहनतकशों की एकता को और व्यापक तथा मजबूत करने के आह्वान का समय है।

देशव्यापी आम हड़ताल

विश्व की सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल

8–9 जनवरी की दो दिन की अखिल भारतीय आम हड़ताल में अनुमानित कोई 20 करोड़ मजदूर शामिल हुए। यह हड़ताल दुनिया के श्रमिक इतिहास में संम्भवतः अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल थी।

हालांकि पश्चिमी पूंजीवादी समाचार माध्यमों द्वारा आमतौर पर नजरंदाज किये जाने के बावजूद यह दुनिया को झकझोरने वाली घटना थी। समूचे भारत में महानगरों से लेकर 67 प्रतिशत ग्रामीण भारत में सभी जगह मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया।

सरकारी, बैंकिंग, ट्रांसिट, विनिर्माण, परिवहन, शिक्षा, कृषि तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगे मजदूरों, कर्मचारियों ने काम छोड़कर हड़ताल में भाग लिया। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र पर हड़ताल का असर रहा और कुछ मामलों में तो पूर्ण बंद की स्थिति रही। 2017 तक भारत की आबादी 134 करोड़ थी। दुनिया के हर 6 में से एक व्यक्ति भारत में रहता है। इन 134 करोड़ में, प्रत्येक 9 में से एक से अधिक ने हड़ताल में भाग लिया। इसका अर्थ है कि दुनिया के पैमाने पर हर 50 लोगों पर एक ने हड़ताल में भाग लिया।

(द मॉर्निंग स्टार, 14 जनवरी, 2019 का एक अंश)

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस

एकजुटता संदेश

वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने 3 जनवरी, 2019 के एक बयान में 5 महाद्वीपों के 130 देशों में अपने 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा सदस्यों की ओर से 8–9 जनवरी, 2019 को हुई मजदूरों की अखिल भारतीय हड़ताल के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता व समर्थन व्यक्त किया। 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व स्वतंत्र फेडरेशनों के आह्वान पर हुई इस हड़ताल में भारत में वुफ्टू से संबद्ध संगठनों ने अग्रणी भूमिका अदा की। बयान में कहा गया कि विश्व व्यापार संगठन के नियम–कायदों के साथ पटरी बिठा कर चलने वाली मोदी सरकार की नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ यह तीसरी और अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल थी, जो मजदूर वर्ग को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं और उनकी जीवन व कार्य की दशाओं को बदतर बना रही हैं।

''पिछले वर्षों के दौरान, भारत का मजदूर वर्ग स्थानीय, क्षेत्रवार व राष्ट्रीय स्तर के संघर्षों के माध्यम से प्रतिरोध खड़ा करता रहा है। दो दिन की यह आम हड़ताल उस नीति के खिलाफ पहले से जारी संघर्षों को आगे बढ़ाने व तेज करने के लिए थी जिन्होंने मूल्य वृद्धि, मजदूरों के अधिकारों पर लगातार हमलों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अभूतपूर्व निजीकरण के साथ देश को एक बेरोजगार व ठहर गये वेतनों को देश बना दिया है।''

"वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, सैक्टरों व इलाकों से पार जाकर देश के सभी मजदूरों से हड़ताल में जुझारू व विशाल भागेदारी करने के वर्गीय रूप से उन्मुख ट्रेड यूनियनों के आहवान के साथ अपनी आवाज बुलंद करता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस घोषित हड़ताल की सही व वाजिब माँगों का समर्थन करता है क्योंकि, पूंजीवादी बर्बरता के खिलाफ, एक सम्मानजनक जीवन व कार्य के लिए वर्गीय रूप से उन्मुख संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है।''

दो दिवसीय देशव्यापी आम हड़ताल

मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ,

भारत के मजदूर वर्ग का उभरता ज्वार

के. हेमलता

8–9 जनवरी 2019 को शानदार देशव्यापी आम हड़ताल ने केंद्र में भाजपानीत सरकार की मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से के ज्वार को प्रतिबिंबित किया। इसने अपनी व्यापकता और गहराई के लिहाज से, मोदी सरकार के शासनकाल में 2 सितंबर 2015 और 2016 की हड़तालों को भी पीछे छोड़ दिया।

सभी क्षेत्रों में आम हड़ताल में मजदूरों की भागीदारी और देश भर के सभी तबकों की जनता से मिले भारी समर्थन और एकजुटता से, सरकार के खिलाफ जनता की बढ़ती नाराजगी का संकेत मिलता है। किसानों और खेत मजदूरों, दलितों, आदिवासियों आदि के राष्ट्रीय संगठनों ने सक्रिय समर्थन दिया और ग्रामीण भारत में चक्का जाम के लिए 'ग्रामीण बंद' का आह्वान किया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संगठनों ने भी हड़ताल के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया और समर्थन दिया। 9 जनवरी, 2019 की दोपहर तक सीटू केंद्र में प्राप्त जानकारी निम्न है।

राज्यों से

असमः असम में हड़ताल अभूतपूर्व थी। सभी चाय बागान बंद थे। रिफाइनरी बंद थीं। स्थायी और ठेका मजदूरों दोनों ने कई रिफाइनरियों के बाहर धरना और प्रदर्शन किया। राज्य भर में किसानों, खेत मजदूरों, छात्रों, महिलाओं आदि के बिरादराना संगठनों के साथ मजदूरों ने रेल रोको आंदोलन किया। पुलिस ने सीटू की राज्य समिति के महासचिव तपन शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।

बिहारः हड़ताल को बिहार में बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ग का समर्थन मिला। सड़क परिवहन पूरी तरह से ठप्प था। योजनाकर्मियों, निर्माण मजदूरों, बीड़ी मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया और समस्तीपुर, खगड़िया, दरभंगा, जमुई, बेगूसराय और अन्य जिलों में विशाल रैलियां निकाली गयीं। समस्तीपुर, कटिहार आदि में सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया। किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दों पर और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ 9 जनवरी को वाम दलों द्वारा राज्य बंद का आह्वान किया गया जो पूरी तरह प्रभावी रहा।

दिल्ली–एनसीआरः दिल्ली–एनसीआर में औद्योगिक मजदूर और कर्मचारी बड़े पैमाने पर हड़ताल में शामिल हुए। सार्वजनिक क्षेत्र के सीईएल में केवल 5 मजदूरों ने ड्यूटी ज्वाइन की। ओखला के 3 फेसों, नारायणा, मायापुरी, मंगोलपुरी के 2 फेसों, उद्योगनगर, नांगलोई, वजीरपुर, जीटी करनाल रोड, बादली, राजस्थानपुरी, भोरगढ़ आदि के औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से बंद थे। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों ने काम बन्द किया और जुलूसों में निकल पड़े जिनका समापन रैलियों में हुआ। प्रत्येक रैली में लगभग 2000 से 3000 मजदूरों ने भाग लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र हड़ताल में शामिल हुए। विश्वविद्यालय बंद रहे।

गुजरातः प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य, कई दशकों में पहली बार मजदूरों की ऐसी संयुक्त हड़ताल का गवाह बना। ट्रेड यूनियनों ने व्यापक संयुक्त अभियान चलाया। बड़ौदा, सूरत, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, अहमदाबाद में इंजीनियरिंग मजदूर, जिनमें से अधिकांश किसी भी ट्रेड यूनियन के तहत संगठित नहीं थे, बड़ी संख्या में हड़ताल में शामिल हुए। राज्य में भाजपा सरकार की प्रताड़ित करने की

धमकियों बावजूद, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और आशाओं ने हड़ताल में भाग लिया और राज्य के अधिकांश जिलों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। पहली बार मध्याह्न भोजन कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। बी.एम.एस. ने इसे 'राजनीतिक हड़ताल' कहते हुए हड़ताल के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। इसके बावजूद, राज्य में 3 आइ.सी.डी.एस. परियोजनाओं में बी.एम.एस. यूनियन से जुड़े आंगनवाड़ी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए और इस अवसर पर प्रदर्शन भी हुए। 8 शहरों – अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, जूनागढ़, बड़ौदा, आनंद और पालनपुर में बड़ी रैलियाँ आयोजित की गईं। प्रत्येक में लगभग 3000 से 8000 मजदूरों ने भाग लिया।

हरियाणाः हरियाणा में गुड़गांव के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताल के लिए मजदूरों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली। हीरो होंडा ने 3 दिन की छुट्टी घोषित की। मारुति को छोड़कर, होंडा सहित अधिकांश बड़े उद्योग बंद रहे। क्षेत्र के सभी छोटे उद्योगों में मजदूरों ने काम बन्द किया और रैलियों में शामिल हुए। 8 जनवरी को औद्योगिक मजदूरों की एक विशाल संयुक्त रैली आयोजित की गई थी। सरकार, रोडवेज और असंगठित क्षेत्र जैसे ईंट–भट्ठा, वन, ग्राम चौकीदार, निर्माण आदि में कामगार बड़े पैमाने पर हड़ताल में शामिल हुए।

राजस्थानः नीमराना में एमएनसी वर्चस्व वाले औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताली मजदूरों पर गंभीर पुलिस दमन के बावजूद संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों में हड़ताल काफी उल्लेखनीय रही। राज्य भर में अन्य लोगों के साथ हड़ताली मजदूरों द्वारा कई प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए हैं

हिमाचल प्रदेशः योजना मजदूरों, मनरेगा मजदूरों, हाइडेल परियोजना मजदूरों के साथ–साथ हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया। कई जिला मुख्यालयों में ज्यादातर महिला मजदूरों के साथ विशाल रैलियां आयोजित की गईं।

जम्मू और कश्मीरः राज्य में कठिन राजनीतिक स्थिति के बावजूद, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और योजना मजदूरों, ने हजारों की संख्या में हड़ताल में भाग लिया। अंतरराज्यीय बस सेवाएं सड़क से दूर रहीं। जम्मू में स्कीम वर्कर्स, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कोल माइन वर्कर्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्कर्स, वेंडर्स, मिडिल क्लास कर्मचारियों आदि की भागीदारी के साथ जुलूस निकाला गया। कश्मीर घाटी में लगभग सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए।

झारखंडः झारखंड के बोकारो, रांची, आदित्यपुर, गम्हरिया के औद्योगिक क्षेत्र हड़ताल के कारण लगभग बंद रहे। दवा उद्योग बंद रहा। तांबे की खदानों और उद्योग में मजदूरों की तरह ही, पाकुड़, साहेबगंज एवं चतरा में बीड़ी मजदूर और पत्थर खदान के मजदूर और लोहरदगा में बाक्साइट मजदूरों ने मुकम्मल हड़ताल की।

कर्नाटकः औद्योगिक मजदूरों, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार, बैंक, बीमा, बीएसएनएल आदि के कर्मचारियों, योजना मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित 30 लाख से अधिक मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया। सार्वजनिक सड़क परिवहन में पूर्ण हड़ताल थी; बेंगलुरु में ऑटो बंद थे। बहुराष्ट्रीय निगमों में सभी स्थायी कर्मचारियों टोयोटा किर्लोस्कर, वोल्वो बसों और ट्रकों, कोका कोला आदि और निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों में भी हड़ताल रही। बेंगलुरु, मैसूर आदि के औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल मुकम्मल रही।

केरलः सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने के बावजूद, पूरे केरल में हर नुक्कड़ तक पहुंचने के प्रयास के साथ पूरे केरल में संयुक्त अभियान चलाया गया। हड़ताल मुकम्मल थी। अन्य जन संगठनों के कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने 32 बिंदुओं पर ट्रेनें रुकवायीं। ट्रेन यातायात बाधित हो गया और कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। त्रिवेंद्रम, कोचीन और कोझिकोड एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ हड़ताल पर थे, जिससे उड़ानें बाधित हुईं। अभियान के कारण, लोगों ने हड़ताल को समर्थन दिया। बसों और ट्रेनों में बहुत कम यात्री थे। राज्य भर में खोले गए 483 हड़ताल केंद्रों पर हजारों कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। ये केंद्र दिन और रात में पूरे 48 घंटे की हड़ताल के लिए सक्रिय थे।

मध्य प्रदेश: आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशाओं और मध्याह्न भोजन श्रमिकों की कुल भागीदारी के अलावा, निजी उद्योगों में हजारों श्रमिक हड़ताल में शामिल हुए। उन सभी सीमेंट इकाइयों में हड़ताल की गई, जहां सीटू से संबद्ध यूनियनें थीं। इसके अलावा यह हाईटेक में मुकम्मल और हेवी इंजीनियरिंग मजदूरों में यह 75% थी। इंदौर, नीमच आदि के औद्योगिक समूहों में काम करने वाले और एनएफआईएल में ठेका मजदूर हड़ताल में शामिल हुए। हालांकि अधिकांश सड़क परिवहन मजदूरों को किसी भी ट्रेड यूनियन के तहत संगठित नहीं किया गया है, लेकिन सीटू राज्य समिति के व्यापक अभियान के परिणामस्वरूप राज्य के 22 जिलों में परिवहन प्रभावित होने के साथ सड़क परिवहन कर्मचारियों की भारी भागीदारी हुई, जहाँ कोई भी यात्री बसें नहीं चल सकीं। भोपाल में, 70% बसें नहीं चल सकीं और 80% सिटी बसों को डिपो में ही रोक दिया गया। सरकारी दबाव में भी, केवल 15%– 20% बसों का संचालन किया गया। राज्य में कोयला खदानों में भी हड़ताल बड़े पैमाने पर हुई।

छत्तीसगढ़: बाल्को में 95% हड़ताल रही, हिर्री और नंदिनी खदानों में 90% और कोयला खदानों में 85% से अधिक मजदूर हड़ताल में शामिल हुए। आंगनवाड़ी और मिड–डे–मील वर्कर्स की हड़ताल 60% थी, बीड़ी मजदूरों की भागीदारी, चावल मिल मजदूरों, मंडियों में लोडिंग–अनलोडिंग का काम करने वाले मजदूरों 60% से ऊपर हड़ताल पर थे। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों और बीमा कंपनियों में, हड़ताल 90% से ऊपर थी। भिलाई इस्पात संयंत्र में, हड़ताल आंशिक थी।

महाराष्ट्र: बी.ई.एस.टी. (बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) में परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल में कुल भागीदारी के साथ, मुंबई में बस सेवाएं सड़क से नदारद थीं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि बॉश, सीएट, क्रॉम्पटन, सैमसोनाइट आदि में मजदूरों द्वारा मुकम्मल हड़ताल की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के हजारों स्थायी और ठेका मजदूर भी हड़ताल में शामिल हुए। हड़ताल के कारण पुणे, नासिक, औरंगाबाद, कोल्हापुर, इचलकरंजी में औद्योगिक क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए। कई स्थानों पर राजमार्ग अवरुद्ध हो गए। सोलापुर में संयुक्त रूप से एक विशाल रैली नहीं की जा सकी क्योंकि उस दिन प्रधानमंत्री की शहर की यात्रा के कारण पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी।

मणिपुर: बड़े पैमाने पर हड़ताल के कारण मणिपुर सुनसान नजर आया। वाहनों का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया; शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया और परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं। सभी प्रमुख बाजार बंद रहे। कई जगहों पर सड़क जाम और प्रदर्शन हुए।

ओडिशा: ओडिशा में बंद जैसी स्थिति थी। सड़क परिवहन पूरी तरह से बंद था। सीमेंट और इंजीनियरिंग उद्योगों में हड़ताल 80% थी। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे नाल्को, पोर्ट एवं डॉक और इंडियन ऑयल में हड़ताल 80% से अधिक थी। खनन क्षेत्र में, हड़ताल लगभग मुकम्मल रही। योजना कर्मचारियों ने पूरी तरह से हड़ताल में भाग लिया। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने कई स्थानों पर रास्ता रोको और रेल रोको का आयोजन किया। सत्तारूढ़ बीजद सहित सभी राजनीतिक दलों ने बीजेपी को छोड़कर हड़ताल का समर्थन किया।

पंजाब: पंजाब और चंडीगढ़ में पनबस (पी.यू.एन.बी.यू.एस.) कर्मचारियों और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल हुई। लुधियाना के औद्योगिक क्षेत्रों में हीरो साइकिल, भटिंडा में सीमेंट कारखानों, अमृतसर में उद्योगों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। निजी अस्पतालों में ठेका कर्मचारी पूरे राज्य में हड़ताल पर थे। योजना कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होकर और राज्य भर में प्रदर्शनों, रैलियों और रास्ता रोको में हजारों में भाग लिया।

तमिलनाडु: तमिलनाडु में हड़ताल बहुत व्यापक थी। पांडिचेरी में सभी क्षेत्रों में कामकाज ठप्प होने जैसी स्थिति के साथ कुल बंद देखने में आया। सार्वजनिक क्षेत्र के सेलम इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों में से 85% से अधिक, भेल के 70% कर्मचारी हड़ताल पर थे। नेवेली लिग्नाइट, तूतीकोरिन बंदरगाह और सलेम चेम्पलास्ट में भी मजदूर हड़ताल में शामिल हुए। कपड़ा उद्योग सहित सहकारी कताई मिलें, बिजली के करघे, एनटीसी मिलें प्रभावित हुईं। इंजीनियरिंग उद्योग के 50% कर्मचारी हड़ताल पर थे। मद्रास

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में भी कामगार हड़ताल पर चले गए। उत्तर और दक्षिण चेन्नई में विनिर्माण इकाइयाँ बंद कर दी गईं। लोडिंग और अनलोडिंग को रोक दिया गया। रेलवे के कई माल शेड में कामगार हड़ताल पर थे। राज्य के कुल बाजारों में से अधिकांश में पूरी तरह हड़ताल देखने को मिली। 80% बिजली कर्मचारी हड़ताल पर थे। 90% केंद्रों में बिल संग्रह बंद था। तिरुवल्लुर थर्मल प्लांट में मुकम्मल हड़ताल थी। 85% ऑटो सड़क से दूर रहे। चाय, रबड़ और कॉफी बागान मजदूरों सहित बड़े पैमाने पर मजदूर हड़ताल पर चले गए। स्ट्रीट वेंडर भी हड़ताल में शामिल हुए। तिरुप्पुर के निटबीयर उद्योग, रसायन उद्योग, साल्ट कॉर्पोरेशन, अशोक लीलैंड, टेनरियों, तस्माक, चीनी, आदि सहित कई अन्य उद्योगों में बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई। योजना मजदूर भी शामिल हुए। 67 गाँवों और कस्बों में बीड़ी कारखाने बंद हो गए। पटाखे और निर्माण श्रमिक हड़ताल पर थे। 80% ऑटो सड़क से दूर थे।

तेलंगाना: 21 लाख से अधिक मजदूरों और कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। ऑटोमोबाइल विनिर्माण इकाइयों और ब्रुवेरीज व डिस्ट्रिलरी में हड़ताल पूर्ण थी और हैदराबाद और आसपास के जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों में इंजीनियरिंग इकाइयों में 80% थी। एनटीपीसी में 90% ठेका कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। टी.आर.एस. सरकार और उसके प्रषासन द्वारा डराने–धमकाने के बावजूद 65% से अधिक योजना मजदूर हड़ताल में शामिल हुए।

त्रिपुरा: अगरतला में, बल प्रयोग के बावजूद, भाजपा सरकार केवल 30% दुकानें ही खुलवा सकी और लगभग 30% बसों को संचालित करने का प्रबंधन कर सकी। राज्य के कई अन्य जिलों की भी लगभग यही स्थिति रही। शिक्षक तो स्कूलों में आए, लेकिन छात्र नहीं थे।

उत्तराखंड: उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के अलावा आंगनवाड़ी कर्मचारी और मध्यान्ह भोजन कर्मचारी, हड़ताल में मुख्य भागीदार थे। कुछ स्थानों पर होटल कर्मचारी, ठेका और आउटसोर्सिंग मजदूर, वर्कचार्ज कर्मचारियों ने भी भाग लिया। मगर, सभी जिलों में रैलियां की गईं।

पश्चिम बंगाल: ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, ब्रिटानिया और कोलकाता के अन्य बड़े उद्योग हड़ताल के कारण बंद रहे। तृणमूल के द्वारा फैलाये आतंक के बावजूद एक के अलावा सभी जूट मिलों और इन्जीनियरिंग उद्योगों में पूरी हड़ताल हुई। ट्रकों में लोडिंग नहीं हुई थी। राज्य में यात्री और माल परिवहन व्यावहारिक रूप से सड़कों पर आये ही नहीं थे। 24 परगना, हुगली, और हावड़ा में औद्योगिक क्षेत्रों में मुकम्मल हड़ताल थी। जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और दिनाजपुर में चाय बागान के मजदूर हड़ताल पर थे और रास्ता रोको प्रदर्शनों में भाग लिया। राज्य में कोयला और स्टील में अच्छी हड़ताल थी। कलकत्ता बंदरगाह में 60% स्थायी कर्मचारी हड़ताल पर थे। कोलकाता में 70% स्ट्रीट वेंडर हड़ताल में शामिल हुए। व्याख्याताओं और छात्रों के हड़ताल में शामिल होने के साथ विश्वविद्यालय और कॉलेज बंद रहे। राज्य में हड़ताली मजदूरों पर पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा हमला किए जाने के बावजूद, इन हमलों का पूरे राज्य भर में लोकतांत्रिक जनता के साथ–साथ मजदूरों ने विरोध किया। पुलिस ने सीटू राज्य समिति के महासचिव अनादि साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया।

उद्योगों/सैक्टरों से

देश भर के प्रमुख उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी पहले की हड़तालों की तुलना में काफी अधिक रही।

कोयला: कोयला उद्योग में हड़ताल में समग्र भागीदारी लगभग 70%–75% थी। उत्पादन और प्रेषण लगभग ठप्प हो गया। स्थायी और ठेका दोनों ही कर्मचारी, आउटसोर्स परियोजनाओं सहित लगभग सभी बड़ी परियोजनाओं में हड़ताल में शामिल हुए।

बिजली: बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर बिजली क्षेत्र में 30 लाख बिजली मजदूर, कर्मचारी और इंजीनियर देश भर में हड़ताल में शमिल हुए।

पेट्रोलियमः तेल क्षेत्र में हड़ताल अभूतपूर्व थी, विशेषकर असम में। असम में विभिन्न रिफाइनरियों में कर्मचारी हड़ताल और कार्यालयों के घेराव में शामिल हुए। कोच्चि रिफाइनरी में प्रबंधन द्वारा हासिल, हड़ताल को प्रतिबंधित करने के अदालती आदेश के बावजूद भी 4 में से 3 यूनियनों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। ठेका कर्मचारियों ने स्थायी कर्मचारियों के साथ भाग लिया। कुल मिलाकर, पेट्रोलियम क्षेत्र में हड़ताल पूर्वी, उत्तर–पूर्वी और दक्षिणी भारत में असरदार रही है, जबकि यह पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में आंशिक थी।

स्टीलः विजाग स्टील, सलेम स्टील और भद्रावती में मुकम्म्ल हड़ताल के साथ स्टील उद्योग में अच्छी हड़ताल थी। राउरकेला स्टील में स्थाई कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए और प्लांट का घोराव किया और हड़ताल पूरी तरह से लगभग 50% थी। ठेककर्मी हड़ताल में शामिल हुए। अन्य स्टील प्लांटों, बोकारो, भिलाई और दुर्गापुर में हड़ताल आंशिक थी।

पोर्ट एंड डॉकः बंदरगाहों में हड़ताल आंशिक थी क्योंकि कुछ प्रमुख बंदरगाहों में कुछ प्रमुख यूनियनें हड़ताल में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन पारादीप, तूतीकोरिन, कोलकाता, हल्दिया, विशाखापत्तनम और कोचीन बंदरगाहों में कार्गो का आवागमन प्रभावित हुआ।

सड़क परिवहनः सड़क परिवहन अत्यधिक प्रभावित होने देश के कई राज्यों में बंद जैसी स्थिति बन गयी। अनुमानतः 3.5 करोड़ परिवहन कर्मचारियों और छोटे मालिकों ने हड़ताल में भाग लिया। सड़क परिवहन क्षेत्र में हड़ताल, केरल, बिहार, ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश में ऑटो सहित सार्वजनिक एवं निजी यात्री और माल परिवहन में मजदूरों की भागीदारी के साथ मुकम्मल रही। पश्चिम बंगाल में हड़ताल 80% से अधिक थी। हड़ताल का पंजाब, कर्नाटक, महाराश्ट्र और झारखंड के कई जिलों में गंभीर प्रभाव पड़ा।

निर्माणः निर्माण मजदूरों ने हड़ताल के साथ ही साथ पूरे देश में प्रदर्शनों में बड़े पैमाने पर भाग लिया। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बागान मजदूरों, चाय, कॉफी, रबर, आदि बड़ी संख्या में हड़ताल में शामिल हुए।

सेवा क्षेत्रः औद्योगिक मजदूरों के अलावा, हड़ताल में सेवा क्षेत्रों में भी कर्मचारियों की भारी भागीदारी देखी गई।

महिला योजनाकर्मीः सभी राज्यों में महिला योजनाकर्मियों, ने उन राज्यों सहित जहाँ ट्रेड यूनियन आंदोलन कमजोर है, न केवल हड़ताल में बल्कि पूरे देश में प्रदर्शनों में भाग लिया। उन्होंने उन जगहों पर भी हड़ताल को दृश्यता दी, जहाँ किसी भी अन्य ट्रेड यूनियन का वजूद नहीं था।

वित्तीय क्षेत्रः बीमा कर्मचारियों के बीच हड़ताल पूरे देश में करीबन मुकम्मल थी। ऑल इन्डिया बैंक एम्पलाईज एसोसिएशन (ए. आई.बी.ई.ए.) और बैंक एम्पलाईज फेडरेशन ऑफ इन्डिया (बी.ई.एफ.आई.) के आह्वान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, रिजर्व बैंक और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के अधिकारियों सहित लाखों बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया।

केंद्र सरकारः केंद्र सरकार के कर्मचारियों और मजदूरों के परिसंघ के आह्वान पर देश भर में लगभग 13 लाख केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। डाक और आयकर विभागों में हड़ताल मुकम्मल थी। लेखा परीक्षा और लेखा, सिविल लेखा, परमाणु ऊर्जा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद षुल्क, सर्वे ऑफ इण्डिया, बॉटनीकल सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय भूजल बोर्ड, डाक खातों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के कर्मचारियों के अलावा, मुद्रण और स्टेषनरी, भारतीय खदान ब्यूरो, एगमार्क, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.), मेडिकल स्टोर डिपो, भारतीय फिल्म प्रभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला, जनगणना विभाग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.), रक्षा लेखा, पुनर्वास विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.), भौतिकी संस्थान, एल.एन.सी.पी.ई., श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कैंटीन

कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.), पासपोर्ट विभाग, और अन्य विभिन्न स्वायत्त और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों ने दो दिनों की हड़ताल में भाग लिया। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, असम और त्रिपुरा सहित अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच हड़ताल हुई। अन्य सभी राज्यों में 60%–80% कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया।

राज्य सरकारें: कई राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारी हड़ताल में बड़े पैमाने पर शामिल हुए। जबकि केरल में यह हड़ताल 90% थी, हरियाणा में लगभग 80% राज्य कर्मचारी और कई अन्य राज्य हड़ताल में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में 60% से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर थे, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह 40% थी।

बी.एस.एन.एल.: बी.एस.एन.एल. की हड़ताल केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में मुकम्मल रही और अन्य राज्यों में आंशिक थी।

पेंशनरों: कई राज्यों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित, ईपीएस 95 पेंशनरों ने प्रदर्शनों और रैलियों में शामिल होकर हड़ताल को एकजुटता और समर्थन दिया।

रैलियां, प्रदर्शन और एकजुट कार्रवाहियाँ

सभी राज्यों में औद्योगिक केंद्रों और जिला मुख्यालयों पर विशाल प्रदर्शन और रैलियां आयोजित की गईं, जिनमें प्रत्येक में हजारों मजदूर शामिल थे। औद्योगिक मजदूरों, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों, योजना मजदूरों और असंगठित मजदूरों ने बड़ी संख्या में इनमें भाग लिया। असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आदि सहित देश भर में हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

हड़ताल में विशेष रूप से जनता के विभिन्न तबकों – किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों आदि का भारी समर्थन और एकजुटता हासिल था। इसके अलावा, आदिवासियों, दलितों आदि के संगठनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया। इन संगठनों के हजारों सदस्यों और उनके राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने पूरे देश में सीधे प्रदर्शनों, रैलियों, रास्ता रोको और रेल रोको में भाग लिया।

बीएमएस की स्ट्राइक ब्रेकर भूमिका

संघ परिवार के सदस्य के रूप में, विभाजनकारी विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और अपनी बिरादराना राजनैतिक शाखा भाजपा के प्रति वफादार रहते हुए, बी.एम.एस. ने हड़ताल को कमजोर करने के लिए मजदूरों को भ्रमित और विभाजित करने का प्रयास किया। बी.एम.एस., जो कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की मांगों के संयुक्त चार्टर को तैयार करने में शामिल था, जब यह संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन का हिस्सा था, अब उन्ही माँगों को 'राजनीतिक' होने की बात करता है। जब काँग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार सत्ता में थी, तो उसे हड़ताल सहित संघर्षों में भाग लेने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन, सत्ता में भाजपा के आने के बाद, यहाँ तक कि यह सरकार तेजी से मजदूरों के अधिकारों को रौंदने के लिए, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के सुझावों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए, त्रिपक्षीय निकायों की उपेक्षा करते हुए, श्रम कानूनों में संशोधनों को आगे ले जा रही है, तो अजीब बात है कि बी.एम.एस. को सरकार मजदूरों की माँगों के प्रति 'सकारात्मक' दिखायी दे रही है। इसने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से कुछ टूटे हुए समूहों को इकट्ठा किया और एक मंच बनाया, हड़ताल का विरोध किया और हड़ताल के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया। लेकिन देश के मजदूर वर्ग ने इसकी पाखंडी तिकड़म को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वास्तव में तो उकसाने के इन प्रयासों को नकारते हुए उसके अपने मजदूरों ने कई राज्यों में इस शानदार दो दिनों की हड़ताल में बड़ी भागीदारी की है।

आगे के कार्य

अब जरूरत है कि नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए और इसकी तीव्रता को बढ़ाया जाए और मेहनतकश जनता की अन्य सभी तबकों को साथ लेकर पूरे मजदूर वर्ग की एकता को मजबूत किया जाए।

देशव्यापी आम हड़ताल

आन्ध्र प्रदेश

तेलंगाना

तमिलनाडू

देशव्यापी आम हड़ताल

कर्नाटक

केरल

महाराष्ट्र

देशव्यापी आम हड़ताल

गुजरात

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

देशव्यापी आम हड़ताल

राजस्थान

दिल्ली - एन.सी.आर.

हरियाणा

देशव्यापी आम हड़ताल

पंजाब

जम्मू और कश्मीर

हिमाचल प्रदेश

देशव्यापी आम हड़ताल

उत्तर प्रदेश

बिहार

झारखंड

देशव्यापी आम हड़ताल

ओड़ीशा

पश्चिम बंगाल

त्रिपुरा

गोआ

मनीपुर

देशव्यापी आम हड़ताल

संसद के बाहर एकजुटता में सांसद

केरल में महान महिला दीवार

(रिपोर्ट पृ. 19)

समान अधिकारों के लिए
केरल में बनीं विशाल महिला प्राचीर

ए. आर. सिंधू

केरल में 1 जनवरी, 2019 को महिलाओं ने तब इतिहास बनाया जब राज्य की कुल महिला आबादी की एक तिहाई यानी 55 लाख महिलाओं ने कासरगोड से लेकर तिरुवनंतपुरम तक समूचे केरल में 620 किलोमीटर लम्बे राजमार्गों पर हाथ से हाथ पकड़ महिला प्राचीर बनाई। यह बराबरी के लैंगिक अधिकारों के लिए विश्व की सबसे बड़ी महिला कार्रवाई थी जो गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्डस में दर्ज हुई।

सबरीमला मंदिर में 10–50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी की प्रतिगामी प्रथा के खिलाफ 12 वर्ष लंबी लड़ाई के उपरान्त भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 28 सितम्बर, 2018 के अपने फैसले में कहा कि ,'' **यह हिन्दू महिलाओं के अपने धार्मिक विश्वासों की पालना के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है, जो अपने परिणाम में, अनुच्छेद 25 (1) के तहत उनके धर्म के मौलिक अधिकार को निर्जीव बनाता है'' और '' जो धर्म,नस्ल,जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधारों पर भेदभाव की मनाही करता है––''**

केरल की वाम मोर्चो सरकार ने घोषित किया कि वह न्यायालय के आदेश की पालना के कर्तव्य से बंधी है।

फैसले को लागू करने के खिलाफ

दक्षिणपंथ का हमला यद्यपि,राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा व कॉंग्रेस दोनों ने इस फैसले का स्वागत किया लेकिन केरल में इन दोनों ही दलों ने 'परम्परा' के नाम पर फैसले का विरोध करने का विपरीत रुख अपनाया। एन डी ए और यू डी एफ दोनों ही रुढ़िवादी तबकों की लामबंदी का प्रसास भी कर रहे हैं जो मंदिरों में दलितों की पुजारियों के रुप में नियुक्ति का, पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण तथा देवास्वम बोर्डों में दलितों व आदिवासियों की नियुक्तियों का विरोध करते हैं।

भाजपा, आर एस एस व उनके आनुषंगिक संगठन लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस फैसले का एक हथियार के रुप में प्रयोग कर रहे हैं। वे राज्य के विभिन्न भागों में हिंसक आंदोलन के तरीके अपना रहे हैं। आर एस एस ने 'नामजप यात्रा'' आयोजित कर मंदिर में पूजा के लिए आने वाली प्रत्येक महिला की जांच का उसकी उम्र का सुबूत मांगकर व उनके हस्तक्षेप का विरोध करने वालों पर हमला कर सबरीमला मंदिर के पास आंतक का माहौल कायम किया। भाजपा नेताओं के सामने आये एक आडियो में उसकी वास्तविक मंशा, हिंसा फैलाने की साजिश तथा केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के लिए आधार तैयार करने के लिए पुलिस को गोली चलाने के लिए बाध्य करने का पर्दाफाश हुआ है।

वे यह भी भ्रम फैसले का प्रयास कर रहे हैं कि यह 'नास्तिक वाम सरकार' है जो हिंदू विश्वासों' पर हमला कर रही है और 'मंदिरों को नष्ट कर रही है। एक चाल के रुप में वे सबरीमला फैसले के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना नहीं कर रहे हैं बल्कि फैसले को लागू करने का प्रयास कर रही एल डी एफ सरकार की आलोचना कर रहे हैं।

कॉंग्रेस पार्टी केरल में एक पाखंडपूर्ण व अवसरवादी रुख अपना रही है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने 'सबरीमला मंदिर के रीतिरिवाजों व परम्पराओं' को बचाने के लिए एक दिन का उपवास रखा। एक अन्य कॉंग्रेसी नेता, उसके कार्रकारी अध्यक्ष के. सुधाकरन ने यह शर्मनाक बयान दिया कि 'रजवस्ला महिलायें' अशुद्ध होती हैं।

इसके विपरीत,लगभग सभी महिला अधिकार समूहों ने एल डी एफ सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर घोषित किया कि वे सबरीमला में कोई हिंसक स्थिति पैदा नहीं करेंगी।

नवजागरण के मूल्यों को बचाने के लिए आंदोलन

केरल में सभी तरह के धार्मिक, जाति व महिलाओं के साथ भेदभाव व प्रयासों के खिलाफ संघर्ष की एक समृद्ध परम्परा है। वाइकोम सत्याग्रह तथा गुरुवयूर सत्याग्रह, मंदिरों में दलितों के प्रवेश व मंदिरों के निकट सड़कों पर चलने के अधिकार के लिए हुए महान आंदोलन रहे हैं। स्कूलों में दलितों व लड़कियों के प्रवेश के लिए भी कितने ही आंदोलन हुए। नायरों, इझावों, पुल्यासों,दलित ईसाईयों के संगठनों का निर्माण अपनी जातियों में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व तथा घृणित प्रथाओं के विरुद्ध लड़ाई के लिए हुआ। दलित महिलाओं को 1928 तक ब्लाऊज पहनने की इजाजत नहीं थी। निम्न जाति की महिलाओं को सोने के जेवर पहने की इजाजत नहीं थी और उन्हें पत्थर के जेवर पहनने को मजबूर किया जाता था। ब्लाऊज पहनने, सोने के गहने पहनने के लिए संघर्ष हुए। अरूयांकली, श्रीनारायणगुरु, पोयकायिल योहानन जैसे महान नेता केरल के नवजागरण आंदोलन के नेता थे जो उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष और जोतने वाले को जमीन के संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ था। केरल के महिला आंदोलन के पास नांगेली की समृद्ध विरासत है जिसने ब्रिटिश राजा द्वारा थोपे गये वक्ष पर कर को देने से इनकार कर दिया था और विरोध में अपना स्तन काट कर मृत्यु को गले लगा लिया था।

आर एस एस ऐसा कहने वाली कुछ महिलाओं को जमा कर सकता है जो कहेंगी कि वे 'अशुद्ध' हैं और अयप्पा दर्शन के लिए 'प्रतीक्षा करने को तैयार 'हैं। दक्षिणपंथी अभियान ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है। जो रजस्वला महिलाओं को 'अशुद्ध' मानती है और इस तरह ऐसी प्रतिगामी प्रथाओं को वापस लाने का प्रयास कर रहा है जिनका समूचा प्रगतिशील समाज विरोध करता है।

विशाल महिला प्राचीर

इस पृष्टभूमि में, एल डी एफ सरकार ने सबरीमला के संबंध में चर्चा के लिए सभी हिन्दू संगठनों की बैठक बुलाई जिनकी केरल में नवजागरण की परम्परा है। के पी एम एस के नेता पुन्माला श्रीकुमार के सुझाव पर बैठक ने महिलाओं के द्वारा एक विशाल नवजागरण प्राचीर बनाने का फैसला लिया। विचार को ठोसरुप देने के लिए महिलाओं के नेतृत्व में सभी तबकों को शामिल कर एक आयोजन समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

जुझारु संघर्षों व शहादतों के दम पर हासिल प्रगतिशील मूल्यों को बचाने में प्राचीर के महत्व व उद्देश्य को राज्य भर में ले जाने के लिए व्यापकतम अभियान चलाया गया। राज्य भर में 1500 से ज्यादा नवजागरण सभायें की गई। अभियान के लिए सांस्कृतिक रुपों का प्रयोग किया गया। आर एस एस के प्रचार का मुकाबला करने व महिला प्राचीर के अभियान के लिए कितने ही गीतों, नाटकों, लघु फिल्मों,वीडियो आदि को तैयार कर प्रयोग किया गया।

प्रगतिशील मूल्यों व लैंगिक समानता की हिफाजत के लिए 1 जनवरी,2019 को कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक बनीं महिला प्राचीर के समर्थन के लिए ट्रेड यूनियनों ने एक राज्य स्तरीय संयुक्त बैठक की जिसकी अध्यक्षता एटक की राज्य सचिव विजयम्मा ने की और चर्चा की शुरुआत सीटू के राष्ट्रीय सचिव पी नंदकुमार ने की। इस बैठक में सीटू की ओर से अनंथलावनतम आनंदन, के ओ हबीब व पी पी प्रेमा, एटक से एम डी राहुल, एच एम एस से जी सुगनन, सेवा से सोनिया जार्ज व स्वेता दास; के टी यू सी से काविदियर धर्मन; जे टी यू सी से कोल्लमकोडे रविद्रंन; आइ एन एल सी से जे एस बाबूराज भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद जिलावार संयुक्त बैठकें व जमीनी स्तर पर ट्रेड यूनियनों का संयुक्त अभियान हुआ। केरल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वूमेन (सीटू) ने प्राचीर में सीटू की सभी महिला सदस्यों को लामबंद किया। सेक्टरों के स्तर पर तथा लोकल जिला स्तरों पर पर्चे वितरित किये गये व सभायें की गई।

अनुमानित कोई 55 लाख महिलाओं ने महिला प्राचीर में भाग लिया। कई स्थानों पर इसकी 3–4 सतहें थीं। कई जगहों पर पुरुषों ने भी समर्थन प्राचीर बनाई। केरल सरकार की स्वास्थय, महिला व बाल कल्याण मंत्री के के शैलजा एक किनारे पर महिला प्राचीर की पहली सदस्य थीं तो सी पी आइ(एम) पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात दूसरे छोर पर अंत में महिला प्राचीर में शामिल थीं। केरल सरकार की फिशरीज मंत्री व सीटू की उपाध्यक्ष मर्सिकुटटी अम्मा ने कोल्लम में, सीटू की सचिव ए आर सिंधु ने अलापुझा में, प्राचीर में भाग लिया । शाम ठीक 4 बजे शपथ ली गई और यह आंदोलन एक इतिहास बन गया।

उद्योग एवं क्षेत्र

पोर्ट और डॉक

'प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक' का संयुक्त रूप से विरोध कर रहे हैं मजदूर'

वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक 24–25 नवंबर को कोच्चि में आयोजित की गयी और सीटू महासचिव तपन सेन द्वारा उद्घाटन किया गया। संसद के इस शीतकालीन सत्र में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2016 को आगे बढ़ाने के मोदी सरकार के कदम का कड़ा विरोध, और इसके खिलाफ अन्य जल परिवहन मजदूरों के फेडरेशनों के साथ संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई।

विधेयक के प्रावधान, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करके, बंदरगाहों की भूमि की बिक्री और बंदरगाह एवं गोदी मजदूरों और पेंशनरों के सभी मौजूदा हितलाभों को छीनने के साथ निजीकरण का रास्ता बनाने की परिकल्पना हैं।

मीटिंग में, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करते हुए, उद्योग और मजदूरों से संबंधित कई मुद्दों प्रमुख बंदरगाहों के लिए नौवहन चैनलों को खोलने के लिए नदियों के ड्रेजिंग के लिए; बंदरगाहों के अधिशेष धन, कर्मचारियों के पीएफ और ग्रेच्युटी फंड को निजी इक्विटी और बॉन्ड में जमा करने की अनुमति नहीं हो जो एमपीटी अधिनियम 1963 की धारा 88 का उल्लंघन होगा; पेंशन के निर्बाध भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीयकृत पेंशन फंड बनाने; और बिना किसी देरी और पूर्व शर्त के, 3 महीने के भीतर बकाया भुगतान सुनिश्चित करके नए वेतन समझौते का कार्यान्वयन आदि; को उठाया गया। (द्वारा: टी. नरेंद्र राव)

सीमेंट

राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक

सीमेंट मजदूर यूनियनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक 24 दिसंबर को बीटीआर भवन नई दिल्ली में हुई और इसमें मध्य प्रदेष, राजस्थान, हिमाचल प्रदेष, पंजाब, पष्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक 7 राज्यों से सीमेंट उद्योग में सीटू यूनियनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सह–संयोजक कश्मीर सिंह ठाकुर ने अध्यक्षता की। सीटू अध्यक्ष हेमलता और महासचिव तपन सेन ने बैठक को संबोधित किया।

संयोजक निशीथ चौधरी ने, सीमेंट उद्योग में चल रही राष्ट्रीय द्विपक्षीय वेतन वार्ता, अन्य संगठनात्मक मुद्दों पर रिपोर्ट पेश की और 8–9 जनवरी को मजदूरों की आम हड़ताल को सीमेंट उद्योग में सफल करने पर जोर दिया।

बैठक में 8–9 जनवरी की हड़ताल के लिए चल रहे सेक्टरवार और क्षेत्रवार अभियान की समीक्षा की गई और इसे तेज करने का निर्णय लिया गया, और वेतन समझौते के पीछे लगने और ठेका मजदूरों के मुद्दों को उठाने, असफल होने पर संयुक्त कार्रवाई के लिए लामबन्दी करने का निर्णय लिया। सीटू के राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य आर. करुमलैयन को समन्वय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया।

मध्य प्रदेश में संयुक्त बैठक

मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी और बेला के सीमेंट उद्योग की तीन सीटू यूनियनों की एक संयुक्त बैठक 22 दिसंबर को रीवा में आयोजित की गई थी और इसमें यूनियनों की कार्य समितियों के सदस्यों ने भाग लिया था। इसे निशीथ चौधरी और कश्मीर सिंह ठाकुर ने संबोधित किया।

बैठक में आम हड़ताल और सीमेंट मजदूरों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई जिसमें यूनियनों के नेताओं विशेषकर महासचिवों की भागीदारी रही। तीनों इकाइयों में आम हड़ताल के सफल होने की उम्मीद है, जिसके लिए हड़ताल नोटिस देने सहित विस्तृत अभियान पर काम किया जा रहा है। बैठक में हड़ताल पर अनेक अभियान और संगठनात्मक विषय पर ठोस निर्णय लिए।

बैठक में शीघ्र वेतन समझौता और ठेका मजदूरों के मुद्दों को उठाने पर भी जोर दिया गया; और राज्य में सीमेंट मजदूरों के बीच सीटू के आधार का विस्तार करने का निर्णय लिया। बैठक का समापन सीटू के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास गोस्वामी के भाषण के साथ हुआ।

अगले दिन, 23 दिसंबर को, रीवा में नर्मदा गेट के पास तीन इकाइयों के 1500 सीमेंट मजदूरों की बड़ी आम सभा हुई, जिसे राम विलास गोस्वामी, प्रमोद प्रधान और कश्मीर सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। (द्वारा: निशीथ चौधरी)

राज्यों से

महाराष्ट्र

आंगनवाड़ी यूनियन का 9वां राज्य सम्मेलन

आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन (ए.के.एस.) के 9वें महाराष्ट्र राज्य सम्मेलन की शुरुआत षिवाजी महाराज की मूर्ति से सम्मेलन स्थल जिसका नाम कॉमरेड अहिल्याताई रांगणेकर नगर तक, 500 से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों की रैली से हुई। सम्मेलन पुणे में 24–25 नवंबर को हुआ और इसमें 16 जिलों से 159 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सीटू के राष्ट्रीय सचिव और ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. के महासचिव ए.आर. सिंधु ने कॉमरेड सुमनताई संजगिरी मंच पर इसके खुले सत्र में सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि मोदी सरकार की मजदूर विरोधी और जनविरोधी नीतियां आम तौर पर सभी मेहनतकश तबकों और विशेष तौर आईसीडीएस और उसके कर्मचारियों को प्रभावित कर रही हैं। और इन नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्षों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की तेजी से बड़ी लामबन्दी पर विशेष जोर दिया। सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उसके प्रदेश अध्यक्ष डीएल कराड ने अपने संबोधन में केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में फडणवीस सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों के बारे में बताया और आंगनवाड़ी कर्मचारियों से 8–8 जनवरी को मजदूरों की आम हड़ताल को राज्य में पूरी तरह से सफल बनाकर जवाब देने का आह्वान किया। सीटू के राज्य महासचिव एम एच. शेख ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अन्य योजनाकर्मियों को संगठित करने की पहल करें और उन्हें लोकतांत्रिक आंदोलन में लाऐं।

प्रतिनिधि सत्र में, शुभा शमीम ने महासचिव की रिपोर्ट रखी; 25 प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया और सम्मेलन ने इसे पारित किया। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर अधिनियम के कार्यान्वयन; महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ; पेट्रोल, डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने और पीडीएस को मजबूत करके मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण; कृषि संकट में राहत और 8–9 जनवरी को 2 दिन की देशव्यापी आम हड़ताल राज्य में पूरी तरह सफल बनाने आदि पर 6 प्रस्तावों को पारित किया गया। सीटू के राष्ट्रीय सचिव और ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. के अध्यक्ष उषारानी और ए.आर. सिंधु ने समय–समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से सम्मेलन का मार्गदर्शन किया।

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से, रमेश चंद्र दाहिवाडे को अध्यक्ष, अन्ना सावंत को कार्यकारी अध्यक्ष, शुभा शमीम को महासचिव और अर्पित ईरानी को कोषाध्यक्ष के रूप में, यूनियन के पदाधिकारियों के साथ एक कार्यसमिति का चुनाव किया।

केरल

कामकाजी महिलाओं का सम्मेलन

सीटू की केरल राज्य समिति ने सीटू के 15वें सम्मेलन के दिशा–निर्देशों के अनुसार केरल सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.(कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति) (सीटू) के पुनर्गठन के लिए 28 अक्टूबर को तिरुवंतपुरम में कामकाजी महिलाओं का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। केरल सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. 1979 में अपने गठन के बाद से कार्य कर रहा है।

40 से अधिक क्षेत्रों और यूनियनों के 150 से अधिक महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उनमें आईटी और आईटीईएस, दुकानों और प्रतिष्ठानों, सहकारी समितियों, आरयूबीसीओ, वित्तीय उद्यमों, राष्ट्रीय बचत, नई पीढ़ी के बैंक, बिजली बोर्ड, नगर निकाय, पर्यटन, राज्य सड़क परिवहन, पेय, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, निजी अस्पतालों, शिपयार्ड, सामाजिक कल्याण, जल प्राधिकरण, आंगनवाड़ी, एमडीएम और आशा योजनाएं, बीड़ी, वृक्षारोपण, कॉयर, खादी, हथकरघा, मत्स्य पालन, सुरक्षा और गृह व्यवस्था, नर्स, ब्यूटीशियन, एलआईसी एजेंट, कारीगर, सड़क विक्रेता, संबद्ध श्रमिक, केरल कृषि तकनीकी कर्मचारी आदि शामिल थे।

केरल सीटू के उपाध्यक्ष के पी मैरी ने अध्यक्षता की। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीटू के राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. (सीटू) के संयोजक ए.आर. सिंधु ने महिला कामगारों के मुद्दों पर ट्रेड यूनियन आंदोलन के निर्माण और इसे वर्गीय मुद्दों से जोड़ने के महत्व को समझाया, जो कि दक्षिणपंथी हमलों को परास्त करने के काम आऐगा। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष अनथलावट्टम आनन्दन और इसके सचिव के.एन. गोपीनाथ ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

के.पी. मैरी ने राज्य सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. के कामकाज और पुनर्गठन के लिए सम्मेलन के उद्देष्य पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। अधिवेशन में 17 प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने राज्य सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए।

अधिवेशन ने 45 सदस्यीय राज्य सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. (सीटू) का गठन किया और सुनीता कुरियन को इसके संयोजक के रूप में औश्र पी.पी. प्रेमा, बीमाबीवी, के.के. प्रेसेनकुमारी, ए.के. नारायणी और दीपा के. राजन को सह–संयोजक बनाया।

पंजाब

आशा वर्कर्स का बढ़े हुए वेतन के लिए आंदोलन

पंजाब आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स यूनियन (सीटू) के बैनर तले, लगभग 400 आषा वर्कर्स ने 3 नवंबर को मोहाली में राज्य स्वास्थ्य आयुक्त के कार्यालय के सामने धरना और प्रदर्शन किया। और केंद्र द्वारा घोषित बढ़ाए गए वेतन को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत तत्काल लागू करने की माँग की। धरना और बैठक को महासचिव रणजीत कौर और यूनियन के अन्य नेताओं, सीटू राज्य सचिव तरसेम जोधन, आँगनवाड़ी यूनियन की नेता नीरलेप कौर और अन्य ने संबोधित किया।

तमिलनाडु

वेनमानी शहीदों की 50वीं वर्षगांठ

सीटू के 1170 नेताओं व मजदूरों और सी.पी.आई.(एम), ए.आई.के.एस., ए.आई.ए.डब्ल्यू.यू., एडवा, डी.वाई.एफ.आई., एस.एफ.आई. ए. आई.आई.ई.ए., टी.एन.जी.ई.ए. के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य ने 25 दिसंबर, 2018 को लाल झंडे चढ़ाकर वेनामनी हत्याकांड की 50वीं वर्षगांठ मनाई। वेनामनी में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहाँ सिर्फ माँगें उठाने और सामूहिक बैठक आयोजित करने के लिए 50 साल पहले जमींदारों द्वारा बच्चों सहित 44 खेत मजदूरों के परिवारों का नरसंहार किया गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया।

सीटू राज्य समिति के आह्वान के जवाब में, इसके विरुधुनगर, कुडलूर, सलेम, कोयम्बटूर, वेल्लोर, रामनाड, कांचीपुरम, डिंडीगुल, त्रिची, तूतीकोरिन और कन्याकुमारी जिलों की कमेटियों ने मजदूरों की राश्ट्रव्यापी आम हड़ताल की मांगों के 12 बिंदु चार्टर के साथ–साथ किसानों और खेत मजदूरों की माँगों पर व्यापक अभियान चलाया। सामूहिक बैठकों का आयोजन करके और 55,000 हैंडबिल और 1100 पोस्टर वितरित किये गये।

गाजा चक्रवात प्रभावितों के लिए राहत कार्य

हाल ही में आये गाजा चक्रवात ने नागपट्टिनम, तिवरुर, तंजौर व पुडुकोट्टई जैसे डेल्टा के समूचे जिलों को तहस–नहस कर दिया। लाखों लोग बेघर हो गये। सैकड़ों गांव बिजली और परिवहन से कट गयें और सामान्य जन–जीवन पूरी तरह से अस्त–व्यस्त हो गया। राज्य सरकार के राहत कार्य बहुत ही धीमे रहे हैं।

सीटू राज्य समिति ने अपनी सभी जिला समितियों व फेडरेशनों को चक्रवात प्रभावित इलाकों में मदद पहुँचाने का आह्वान किया। कोयम्बटूर, करुर, ईरोड, तिरुपुर, सलेम, धर्मपुरी, नमक्कल, चेन्नई उत्तर, कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, त्रिची, विरुधुनगर, वेल्लोर की सीटू जिला समितियों ने राहत सामग्री जमा कर प्रभावित क्षेत्र में भेजी। इसके अतिरिक्त तमिलनाडू आँगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स तथा रेलवे के डी.आर.ई.यू. अपने सदयों व जनता से राहत सामग्री जमा कर उसे तंजौर, तिरुवरुर पुडुकोट्टई व नागपट्टिनम जिलों में वितरित किया।

हिमाचल प्रदेश

आंगनवाड़ी यूनियन का राज्य सम्मेलन

11–12 नवंबर को शिमला में आँगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन के 12वें हिमाचल प्रदेश राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 10 जिलों के 155 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीटू के राष्ट्रीय सचिव और ए.आई.एफ.ए.डब्ल्यू.एच. के महासचिव एआर सिंधु ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, सरकार की उन नीतियों का वर्णन किया, जिनके तहत आई.सी.डी.एस. को विघटित किया जा रहा है। और उन्होने 8–9 जनवरी, 2019 की आम हड़ताल में अधिकतम भागीदारी के लिए राज्य के आंगनवाड़ी कर्मचारियों का आह्वान किया। यह हड़ताल, मजदूरों और किसानों के अपने और जनता के मुद्दों को देश के राजनीतिक एजेंडे में लाने वाले दृढ़ निश्चय के युग को चिह्नित करेगा। सीटू के राश्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर और राज्य महासचिव प्रेम गौतम ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।

यूनियन की महासचिव राजकुमारी ने उस रिपोर्ट को रखा जिसकी चर्चा समूहों में की गई थी; पूर्ण सत्र में 14 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से इसे स्वीकारा गया। इस सम्मेलन ने 8–9 जनवरी को मजदूरों की अखिल भारतीय आम हड़ताल के समर्थन में और राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में प्री–स्कूल खोलने के प्रयास के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में नीलम को अध्यक्ष और राजकुमारी को महासचिव के रूप में 41 सदस्यीय कमेटी को चुना गया।

मोदी सरकार भी मानती है
जब नौकरियां ही नहीं, तो आरक्षण का क्या फायदा

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि आरक्षण रोजगार की गारंटी नहीं है क्योंकि नौकरियां कम हो रही हैं।

हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नितिन गडकरी से जब आरक्षण के लिए मराठों के वर्तमान आंदोलन व अन्य समुदायों द्वारा इस तरह की मांग सं जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने जबाव दिया कि यदि आरक्षण दे दिया जाता है तो भी फायदा नहीं है क्योंकि नौकरियां नहीं हैं, बैंक में आई.टी. के कारण नौकरियां कम हुई हैं। सरकारी भर्ती रुकी हुई है नौकरियां कहां हैं।

नितिन गडकरी ने आर्थिक आणार पर आरक्षण की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब नौकरियां ही नहीं, तो आरक्षण का क्या फायदा।

मजदूरों को शामिल कम दायरे से बाहर ज्यादा करता है, सुरक्षा कोड

के.आर. श्याम सुंदर

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार 40 श्रम कानूनों को औद्योगिक संबंधों, वेतन, सामाजिक सुरक्षा व पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और कार्य करने के हालातों (ओ.एच.एस. और डब्ल्यू.सी.) के बारे में चार संहिताओं में समेटमे की भारी भरकम कवायद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संशोधन करने का प्रयास कर रही है। तथापि, 5 सितंबर के हाल के विरोध समेत ट्रेड यूनियनों व आरएसएस–संबद्ध बीएमएस व अवसरवादी राजनीतिक विरोधियों द्वारा किये गये जबरदस्त विरोध के चलते इनमें से एक में भी अभी सरकार को कामयाबी नहीं मिल सकी है। इसका प्रमुख कारण ट्रेड यूनियनों के साथ सार्थक संवाद का न होना है, जबकि त्रिपक्षीय परामर्श (अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक) कन्वेंशन, 1976 पर हस्ताक्षर करने के बाद से ही भारत अन्य मामलों के साथ ही, श्रम नीति के बारे में त्रिपक्षीय विचार विमर्श की शर्त से बंधा हुआ है।

पेशागत सुरक्षा व स्वास्थ्य (ओ.एच.एस.) पर संहिता का मसविदा फैक्ट्रियों, खदानों, बंदरगाहों, बागानों आदि जैसे अलग–अलग क्षेत्रों से संबंधित 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को सुगठित व संशोधित करना चाहता है। इससे सर्वप्रथम तो यह पता चलता है कि यह संहिता (कोड) विभिन्न प्रकार के पहलुओं (जैसे सुरक्षा, कल्याण ठेका श्रम प्रणाली, आदि) का एक असहज घालमेल है। दूसरे, कोड के ''कवरेज से संबंधित छोड़े गये'' पहलू चौकाने वाले हैं। ओ.एच.एस. कोड और केन्द्र का आदर्श शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (2016) (शाप्स व एस्टेब्लिशमेंट राज्य सरकारों के दायरे में आते हैं और महाराष्ट्र की सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है तथा अन्य भी जल्द ऐसा करेंगे) 10 या उससे ज्यादा मजदूरों/कर्मचारियों को काम पर रखने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, और इस तरह, छठी आर्थिक सेसंस, 2013–14 के अनुसार यह कोड 10 से कम मजदूरों/कर्मचारियों को काम पर रखने वाले किसी भी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कम से कम 95% को बाहर कर देता है, यद्यपि, यह हिस्सा और कम होगा यदि हम स्व–अकाऊन्ट प्रतिष्ठानों को बाहर रखें, परन्तु यह संख्या तब भी अच्छी–खासी होगी। आश्चर्य की बात नहीं कि भारत ने आईएलओ के 17 कन्वेंशनों में से केवल तीन पर हस्ताक्षर किये हैं।

तीसरे, एक ओर तो शुरु में हमें जेनरिक परिभाषायें मिलती हैं, और दूसरी ओर जैसे–जैसे हम विशाल कोड में आगे बढ़ते हैं, तो हमें कैंटीन, श्रम कल्याण अधिकारी या सुरक्षा समिति जैसे विभिन्न पहलुओं के संबंध में अलग–अलग सीमायें देखने को मिलती हैं। यही नहीं सरकार ने कोड में मौजूदा सीमा को या तो बनाए रखा है या इधर–उधर किया है। (उदाहरण के लिए ठेका श्रम व्यवस्था, कैंटीन, सुरक्षा समिति)। फैक्टरियों के संबंध में सुरक्षा समिति की कवरेज की मौजूदा संख्या सीमा 250 से 500 को कम करना एक गंभीर नतीजे वाला पहलू है। 2012 में रिटर्न भरने वाली कुल फैक्टरियों में 500 या ज्यादा मजदूर/कर्मचारी वाली फैक्टरियों का प्रतिशत 2.8 था और उनके कुल रिपोर्टड् मजदूरों का प्रतिशत 44.19 था। ओएचएस एक सार्वभौमिक अधिकार है और नियामक व्यवस्था प्रत्येक प्रतिष्ठान में होनी चाहिए और यह निर्माण या खदानों पर भी लागू होता है।

यदि विधि निर्माता द्विपक्षीयता को मजबूत करने में विश्वास करते हैं, तब उन्हें हर तरह से मान्यता प्राप्त यूनियनों तथा वैध पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की भूमिका को प्रोत्साहित करना चाहिये। उदाहरण के लिए, आदर्श स्थिति में मान्यताप्राप्त या पंजीकृत यूनियनों को नियत सुरक्षा समिति या सलाहकार बोर्डों जैसी परामर्श प्रक्रियाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उनकी अनुपस्थिति में, मजदूरों के प्रतिनिधि उनका स्थान ले सकते हैं। यूनियनों को दूर रखने व उन्हें तोड़ने के इस दौर में ऐसी शर्त या अनुबंध का न होना सम्मानजनक कार्य या रोजगार के लिए भारी चिन्ता का सबब है। उदार, जहाँ–तहाँ (मशीन निर्देशित, रेंडम) व गैर–विवेकी निरीक्षण व्यवस्था के इस दौर में और जब एक निरीक्षक को एक वर्ष में 300 से अधिक फैक्टरियों का निरीक्षण करना हो तथा ओएचएस के द्विपक्षीय नियमन के लागू होने की इतनी घेरेबंदी के संदर्भ में व ट्रेड यूनियनों को शक्तिहीन करने के समय में ओएचएस से संबंधित कोई भी संशोधन खोखला और बेमतलब है।

अन्य के साथ असहज रहने वाले, कितने ही कानूनों का खात्मा, कुछ पहलुओं को यहाँ–वहाँ सरसरी तौर पर लेना, एम्पलाईज कम्पेंनसेशन एक्ट, 1923 जैसे कानूनों को छोड़ देना, सुगठित करने के नाम पर प्रावधानों के साथ ठोक–पीट जो विभिन्नता पैदा करता है तथा इस कोड व सामाजिक सुरक्षा कोड जैसे अन्य कोडों के तहत एक विशाल श्रम नौकरशाही पैदा करता है, वह दरअसल सुधारों के मकसद को ही परास्त कर देता है और यह किस सामाजिक कीमत पर! ठीक इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इससे बेहतर तो 40 श्रम कानूनों को बनाये रखना व उनमें से प्रत्येक में जरुरत अनुरुप कमियों को दूर कर लेना है।

(लाइवमिंट में सर्वप्रथम प्रकाशित; 27 नवंबर, 2018; के.आर. श्याम सुंदर, एक्सएलआरआई, जमशेदपुर में प्रोफेसर हैं)

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dsUnz	vDVwcj 2018	uoEcj 2018	jkT;	dsUnz	vDVwcj 2018	uoEcj 2018
vk/kz izns'k	xUVwj	283	283	महाराष्ट्र	मुम्बई	298	298
	fot;ckMk	286	286		ukxiqj	361	361
	fo'kk[kkiÝkue	291	288		ukfld	340	338
vle	MeMek frulf[k;k	272	275		iq.ks	320	319
	xokgkVh	263	260		'kksykiqj	313	313
	ycd flYpj	266	268	mMhlk	vkxjs&rkypj	320	319
	efj;kuh tkjgkV	257	254		jkmjdsyk	312	313
	jxkikjk rUtiqj	252	252	ikfMpfj	ikfMpfj	306	309
fcgkj	ep?kj&tekyiqj	331	334	iatkc	vejlj	322	317
p.Mhx<	p.Mhx<	304	303		tkyU/kj	303	312
NÙkhlx<	fHkykbZ	324	324		yf/k;kuk	289	286
fnYyh	fnYyh	287	284	jkt LFkku	vtej	280	279
Xkksok	xksok	323	321		HkhyokMk	281	281
Xkqt jkr	vgenkcknd	279	280		t;iqj	291	287
	Hkkouxj	292	293	rfeyukMq	pUuS	269	275
	jkt dksV	290	289		dk;EcVwj	280	281
	ljr	270	269		dUnqj	314	316
	oMksnjk	273	272		enjkbZ	281	287
gfj;k.kk	Qjhnkcknd	271	271		lye	283	283
	;equkuxj	290	290		fr#fpjkiYyh	295	293
fgekpy	fgekpy çns'k	267	266	rsyxkuk	xksnkojh[kkuh	311	310
tEeq ,oa d'ehj	Jhuxj	273	272		gnjkcknd	254	255
>kj[k.M	ckdkjk	296	294		okjaxy	310	309
	fxfjMhg	330	331	f=ijk	f=ijk	266	265
	te'knniqj	349	350	mÙkj çns'k	vkxjk	349	347
	>fj;k	346	349		xkft;kckn	324	321
	dksMek	365	371		dkuiqj	328	328
	jkph gfV;k	368	369		y[kuÅ	321	320
dukVd	cqyxke	299	298		okjk.klh	315	316
	cqxy#	291	292	if'pe cxky	vkluksy	326	325
	gcyh /kkjokM	318	318		nkft.fyax	276	277
	ejdjk	305	306		nqxkiqj	323	323
	eksjsuk	306	306		gfYn;k	333	331
dqjyy	,.kkdqye@vyob	307	306		gkoMk	287	282
	e.MkD;ke	304	304		tkyikbxMh	277	274
	fDoykuu	345	347		dkydkrk	285	284
e/; çns'k	Hkksiky	314	314		jkuhxat	280	282
	fNnokMk	294	293		flyhxqMh	273	272
	bUnkSj	275	274	vf[ky Hkkjrh; lpdkd		302	302
	tcyiqj	310	309				

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- एजेंसी – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- भुगतान – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;

- संपर्कः ई मेल/पत्र की सूचना के साथ

प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेलः citubtr@gmail.com
फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

देशव्यापी आम हड़ताल

पुलिस का सामना

बिहार

पश्चिम बंगाल
सी.पी.आई.(एम.) नेता सुजान चक्रवर्ती

नीमराना में दैकिन में पुलिस दमन

और सभा

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-2020 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication - 05/02/2019)

देशव्यापी आम हड़ताल

रेल रोको, रास्ता रोको

गुवाहाटी, असम

भुवनेश्वर, ओडिशा

पश्चिम बंगाल

केरल

वाराणसी उ.प्र.

पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारियां

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : के हेमलता